LOK SABHA

Thursday, April 25, 1963/Vaisakha 5, 1885 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्थायी सरकारी पदों की घोषणा

+

*१०२७. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती रेणुकाबड़कटरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे वेतन आयोग की इस सिफारिश पर कि सरकारी सेवा के ८० प्रतिशत पदों को स्थायी घोषित कर दिया जाये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मार्च, १९६० में हिदायत जारी की गई थी कि सरकारी कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों और डाक व तार विभाग के अलावा सभी स्थायी विभागों में जो अस्थायी जगहें कम से कम लगातार तीन साल से चली आ रही हैं और जिनकी जरूरत स्थायी ढंग से काम के लिए है, उनमें से ८० प्रतिशत जगहों को स्थायी बना दिया जाय । इस सम्बन्ध में व मंत्रालयों/विभागों में जो प्रगति हुई उस पर अक्तूबर १९६१ में विचार किया गया और उससे पता चला कि इस मामले में प्राय: काफी कार्रवाई की जा चुकी है या की जा रही है ।

[In pursuance of the recommendations of the Pay Commission, instructions were issued in March, 1960, that in all permanent Departments, other than Government Workshops/Industrial Undertakings and the Posts and Telegraphs Department, 80 per cent of the temporary posts which have been in existence for a continuous period of not less than three years and are required for work of a permanent nature, may be converted into permanent ones. The progress made by the various Ministries/Departments in this regard was reviewed in October, 1961 and it transpired that, by and large, adequate action had been taken or was being taken in the matter.]

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पे कमीशन के प्रतिवेदन पर जो आदेश सरकार ने जारी किये थे, उन को डेढ़ वर्ष से अधिक हो गया है, इस अवधि में सरकार ने जो कार्यवाही की है, उस की प्रगति क्या है और उन एम्पलाईज़ की संख्या क्या है, जिनको इस बीच में पर्मानेंट किया गया है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन एम्पलाईज़ के बारे में आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, इस सम्बन्ध में प्रगति काफ़ी संतोषजनक रही है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का नोटिस डेढ़ महीने पेश्तर दिया था, लेकिन इस के बावजूद उपमंत्री महोदय कहते हैं कि उन के पास

आंकड़े नहीं हैं। उन्होंने बताया है कि प्रगति संतोषजनक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि संतोषजनक प्रगति का अर्थ क्या है। क्या पचास प्रतिशत एम्प्लाईज़ पर्मानेंट किये गये या साठ प्रतिशत ? कितने प्रतिशत एम्पलाईज़ को पर्मानेंट बनाया गया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : तीन डिपार्टमेंट्स—पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स, सरकारी वर्कशाप्स और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज में काम करने वालों की एप्वायंटमेंट स्वभावत: टेम्पोरेरी होती है। जैसा कि मैं ने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, बाकी सब विभागों की करीब करीब अस्सी प्रतिशत टेम्पोरेरी पोस्ट्स को पर्मानेंट करने के लिए कहा गया है। १९६०–६१ में यह फ़रमान जारी किया गया था। हमने सब मिनिस्ट्रीज़ और विभागों से इस बारे में इन्फ़र्मेशन मांगी है, जिस के उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्रगति संतोषजनक है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इन मिनिस्ट्रीज़ और विभागों में लाखों आदमी काम करते हैं और उन में टेम्पोरेरी कार्यकर्ताओं की तादाद काफ़ी थी। इसलिए उन के बारे में सारे आंकड़े इकट्ठे करना जरा कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं ने क्लेरिफिकेशन मांगी थी। मुझे एक और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

Mr. Speaker: Shrimati Savitri Nigam.

Shrimati Savitri Nigam: As the hon. Minister is aware, railways are also big employers of casual labourers. May I know whether the Railway Ministry has also taken care to see that 80 per cent of the people who were working as casual labour have been made permanent?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जैसा कि मैं ने कहा है, तीन डिपार्टमेंट्स के अलावा बाकी सब मंत्रालयों और विभागों में इसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

Shri Tyagi: Could the hon. Minister give an idea as to what is the proportion between permanent posts and temporary posts in these departments? After all, they must have examined the proportion between the two.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: If the hon. Member gives separates notice, I would be able to give it.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने बताया है कि डाक-तार विभाग आदि तीन विभागों को छोड़ कर इस बारे में फर्मान जारी किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि डाक-तार विभाग को आखिर क्यों छोड़ दिया गया था। क्या पे कमीशन ने ऐसी सिफ़ारिश की थी या गवर्नमेंट ने स्वयं निर्णय किया है ? यदि गवर्नमेंट ने निर्णय किया है, तो किस आधार पर ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उन के रूल्ज़ अलग किस्म के हैं, जिन के अनुसार चलने में उनको ज्यादा सहूलियत होती है। इस लिए उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है।

श्री यशपाल सिंह : बचत योजना के मातहत सरकार स्टाफ में जो दो हजार की कमी करने जा रही है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : उस का इस सवाल से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है।

Mr. Speaker: Shri S. M. Banerjee.

Shrimati Savitri Nigam: Sir, may I put one question?

Mr. Speaker: I think I gave her an opportunity once.

Shrimati Savitri Nigam: I want to ask one more question.

Mr. Speaker: That would be difficult.

Shrimati Savitri Nigam: It is an important question.

Mr. Speaker: But I am also helpless sometimes. Shri S. M. Banerjee.

Shri S. M. Banerjee: The hon. Minister has stated that in most of the postal workshops and other industrial undertakings under the Central Government this 80 per cent permanency will not be given because of inherent limitation. I want to know whether it is a fact that the Defence Ministry and the Ministry of Transport and Communications have already taken a decision to declare 80 per cent of the industrial posts as permanent and 50 per cent have already been done. If so, why has it not been done in the case of the balance 30 per cent?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: About industrial establishments, a proper assessment could not take place, but it has been left to the Ministries. If they make an assessment of the proper requirements, then it will be done. The door is kept open.

Shri Buta Singh: May I know whether Government propose to ensure due representation to people belonging to the Scheduled Castes in such permanent posts?

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Government is always prepared to give due representation to the Scheduled Caste people.

Shri A. P. Sharma: Is it a fact that while the permanent employees of the Central Government departments get a wage of Rs. 3 per day, the rate for casual labour in the departments varies from place to place and in some places the minimum is Rs. 1-8-0? Will the Government remove this discrepancy?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): No, Sir.

Rehabilitation of Displaced Persons in Dandakaranya

*1028. **Shri Subodh Hansda:**
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri Mohammad Elias:
Shri Maheswar Naik:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Bhakt Darshan:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri D. C. Sharma:
Shri P. C. Borooah:
Shri P. Venkatasubbaiah:

Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the rehabilitation of displaced persons from East Pakistan has been completed in the Dandakaranya area;

(b) if so, the number of families settled or rehabilitated up till now;

(c) whether it is a fact that a number of families went away after settling there for some time; and

(d) if so, the reason for their going away?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Shri P. S. Naskar): (a) No. The work is still in progress.

(b) 5650 families, including 146 absorbed in Project jobs and vocations, are in various stages of resettlement.

(c) Only 9 families left the villages.